तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री खडगसिंह, अभिभाषक अपीलांट । श्री आर.पी.शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक **आदेश** हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–10–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 6–7–89 को आराजी खसरा नंबर 535 रकबा 93 बीघा 6 बिस्वा में से अपीलांट को 3 बीघा भूमि विधिवत आवंटन की जाकर कब्जा सौंप दिया। आवंटन के समय से अपीलांट आवंटित रकबे पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। रेस्पोडेंट ने उपरोक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय अपर जिला कलेक्टर भीलवाडा के यहां प्रस्तुत किया जो दिनांक 23–5–05 को स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31–10–05 द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि आवंटन 1989 का है। अपीलांट भूमिहीन कृषक है। अपीलांट का आवंटन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विधिवत तौर से भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। आवंटन के पश्चात् से विवादित आराजी पर अपीलांट काबिजकाश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी बिलानाम दर्ज थी। इसलिये अपीलांट को आवंटन पूर्णतःया कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। जब विवादित आराजी वन विभाग को दे दी गई थी तो अपीलांट को आवंटन क्यों किया गया। राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की गलती का खामियाजा अपीलांट को नहीं दिया जा सकता। विवादित आराजी पर वन विभाग का कब्जा भी नहीं है। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना नहीं की है। किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलांट का विधिवत आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान उप राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट्स का कथन है कि विवादित राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 7–12–82 से ही वन विभाग को दी जा चुकी थी। राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वन विभाग के नाम पर अंकित नहीं होने के कारण नियम विरूद्ध आवंटन किया गया है। जो भूमि राज्य सरकार के नाम पर ही नहीं है, उसका आवंटन कैसे किया जा सकता है तथा आवंटन समिति को वन विभाग की भूमि का आवंटन करने का अधिकार नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ उपलब्ध निर्णयों तथा संलग्न दस्तावेज का अद्योपांत अवलोकन व अध्यन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट का आवंटन निरस्त करने का मुख्य आधार अपने निर्णय में यह लिया है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 535 रकबा 93 बीघा 6 बिस्वा को राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 7–12–82 से वन विभाग को दिया जाना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में 1989 में जबकि विवादित आराजी वास्तव में बिलानाम ही नहीं थी तो आवंटन हेतु उपलब्ध नही हो सकती। राजस्व रेकार्ड में गलती से बिलानाम अंकित रह जाने से किये गये आवंटन को विधिसम्मत् नहीं माना है। वन विभाग के नाम दर्ज भूमि का केन्द्रीय सरकार से बिना पूर्व अनुमति के वन विभाग के नाम से समाप्त नहीं किया जा सकता। हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य साबित करने में विफल रहे है, जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त किया जा सके। हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	

अपील / एलआर / 164 / 2006 / जिला भीलवाडा
गायत्रीदेवी बनाम सरकार